न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा(टोक)

(श्री सन्तोष कुमार मीना आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र– 21/2019
निर्णय दिनांक– 14.08..2019

1.श्योदास पुत्र सुरजमल जाति खंगार निवासी कोटडी तहसील उनियारा जिला टोक
2.धनवन्ती पुत्री सुरजमल जाति खंगार निवासी कोटडी तहसील उनियारा जिला टोक

प्रार्थीगण

बनाम

तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोक (राज0)

प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः– 1.श्री आर0के0सैनी वकील प्रार्थीगण
2.पेरोकार सरकार तहसीलदार उनियारा

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार है:–

यह कि प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खाता संख्या 89 ख0न0 74 रकबा 0.05 है0 गे0मु0 चाह व खाता संख्या 90 ख0न0 255, 257, 508/75, 513/76 कुल किता 4 कुल रकबा 1.73 है0 वाके ग्राम कोटडी तहसील उनियारा मे स्थित है। प्रार्थीगण के पिता का नाम सुरजमल है तथा प्रार्थीया न0 2 का नाम धनवन्ती है, जो कि प्रार्थीगण के आधार कार्ड, पेन कार्ड, फोटो पहचान पत्र, राशन कार्ड इत्यादि मे अंकित है। परन्तु राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी मे प्रार्थीया न0 2 का नाम सहवन से धापू व वल्दियत मे प्रार्थीगण के पिता का नाम सुज्या अंकित कर दिया है जबकि सही नाम सुरजमल है तथा प्रार्थीया न0 2 का नाम धनवन्ती है।

यह कि प्रार्थीगण की अधियाचना है कि राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी मे प्रार्थीगण के पिता सुज्या के स्थान पर सुरजमल व प्रार्थीया न0 2 का नाम धापू के स्थान पर धनवन्ती अंकित करवाते हुये राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने का आदेश प्रदान करे।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

Scanned by CamScanner

तहसीलदार उनियारा ने जवाब प्रस्तुत कर बताया कि धापू व धनवन्ती एक ही है तथा सुज्या तथा सुरजमल भी एक ही व्यक्ति है। धापू के बजाय धनवन्ती व सुज्या के बजाय सुरजमल किये जाने की अभिशंषा की गई है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। खाता संख्या 89 ख0न0 74 रकबा 0.05 है0 गे0मु0 चाह वाके ग्राम कोअडी मे धापू पुत्री सूज्या व श्योदास पुत्र सुज्या अंकित है। खाता संख्या 90 ख0न0 255, 257, 508/75, 513/76 कुल किता 4 कुल रकबा 1.73 है0 वाके ग्राम कोटडी तहसील उनियारा मे धापू पुत्री सूज्या व श्योदास पुत्र सुज्या अंकित है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड व परिवार राशन कार्ड मे प्रार्थी के पिता का नाम सुरजमल अंकित है। प्रार्थीया न0 2 द्वारा प्रस्तुत फोटो पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड मे धनवन्ती अंकित है। तहसीलदार उनियारा ने भी जवाब प्रस्तुत कर बताया है कि धापू व धनवन्ती एक ही है तथा सुज्या तथा सुरजमल भी एक ही व्यक्ति है। धापू के बजाय धनवन्ती व सुज्या के बजाय सुरजमल किये जाने मे कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि वह खाता संख्या 89 ख0न0 74 रकबा 0.05 है0 गे0मु0 चाह व खाता संख्या 90 ख0न0 255, 257, 508/75, 513/76 कुल किता 4 कुल रकबा 1.73 है0 वाके ग्राम कोटडी तहसील उनियारा मे अंकित धापू पुत्री सुज्या के स्थान पर धनवन्ती पुत्री सुरजमल व श्योदास के पिता सुज्या के स्थान पर सुरजमल दर्ज कर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करे।

यह निर्णय आज दिनांक 14.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सन्तोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा

Scanned by CamScanner